

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 278/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

थाना- बरदह: जमीनी विवाद को लेकर रात घर में घुसकर मारपीट करने व सामान तोड़ फोड़ व चोरी के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 30.07.25 को वादिनी मुकदमा शिवकुमारी पत्नी उमेश चन्द, ग्राम-अवदह खास थाना-बरदह, जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मेरे पति दुलारगंज बाजार में यूनियन बैंक के सामने जमीन खरीदकर मकान कायम किये हैं गुलाबी देवी पत्नी उमशकर पाण्डेय ग्राम हरिनापुर थाना बरदह द्वारा जमीन दिया गया है इसी जमीन के बावत विवाद चल रहा है और प्रार्थिनी व परिवार को मकान छोड़ने के लिये लगातार मारपीट करना तथा प्रार्थिनी को मकान छोड़कर जाने की धमकी देते रहते थे घटना दिनांक 30.07.25 की रात में समय लगभग 02.00 AM को रजवंत सिंह पुत्र रामसमुझ, बलवंत सिंह पुत्र रामसकल सिंह, दुश्यंत पुत्र जीतनरायन सिंह ग्राम अवदह खास व शैलेन्द्र सिंह व उनके दो भतीजे ग्राम गिड़उर, विकास सिंह पुत्र अज्ञात ग्राम-परसौली, थाना बरदह निवासीगण व चार अज्ञात व्यक्ति सभी लोग कट्टा पिस्टल, आदि असलहे व लाठी कुल्हाड़ी, फावड़ा लेकर प्रार्थिनी के घर पर हमला कर दिये तथा घर में घुसकर सभी सो रहे दो बेटे राहुल व बिशाल, विवेक सभी लोगो पर असलहा लगाकर मारने पीटने गाली देते हुए धमकी दिये कि शोर मचाओगे तो जान से मार देंगे तथा प्रार्थिनी भागने का प्रयास की तो प्रार्थिनी का सोने का मंगलसूत्र व पति के गले से चैन व पति कमरे में रखी पेटी से पति हर्ट की बीमारी होने के कारण रखे दो लाख कुछ नगदी लूट लिये तथा 5 मोटरसाइकिल में तोड़ फोड़ किये व टेन्ट हाउस के सामान में आग लगा दिये तथा घर लगे सीसी कैमरा तोड़े हैं तथा एक डीवीआर उठा ले गये हैं तथा तीनों लड़की की मोबाईल छीन लिये है वापस जाते समय धमकी दिये है कि पुलिस में रिपोर्ट करोगी तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे घटना में पूरे परिवार को चोटे आयी हैं तथा एक पुत्र राहुल के कंधे के पास की हड्डी टूटी हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 305, 117(2), 333, 76, 62, 118(1), 326(g) BNS व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Vक SC/ST Act बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दिनांक 03.08.25 को SO राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. बलवन्त सिंह पुत्र राम सकल सिंह निवासी ग्राम अवदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 2. दुश्यन्त सिंह पुत्र जीत नरायण सिंह निवासी ग्राम अवदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को त्रिवेणी मोड़ बहद ग्राम अहिरौली से समय करीब 14.02 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

1. बलवंत सिंह पुत्र रामसकल सिंह अवदह खास थाना बरदह, आजमगढ़ 2. दुश्यंत पुत्र जीतनरायन सिंह ग्राम अवदह खास थाना बरदह, आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 228/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 305, 117(2), 333, 76, 62, 118(1), 326(g) BNS व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Vक SC/ST Act थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. SO राजीव कुमार सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 राजेन्द्र कुशवाहा थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 विवेक गिरी थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 यशपाल गुप्ता थाना बरदह, आजमगढ़
5. प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़



02.थाना फूलपुर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 31-07-2025 को मुकदमा वादिनी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31/07/2025 समय 01.00 बजे विपक्षी . राज पुत्र जितेन्द्र निवासी चकनूरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को अपने घर मे ले जाकर मारपीट कर वीडियो बना कर दुष्कर्म किया गया, तथा परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0--379/25 धारा 65(1)/ 115(2)/ 351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम राज पुत्र जितेन्द्र निवासी चकनूरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत है । जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 03.08.2025 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय हमराह के वांछित अभियुक्त राज पुत्र जितेन्द्र निवासी चकनूरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को ताहिर हास्पिटल के आगे आजमी मोड़ पर गुमती के पास से धारा 65(1)/ 115(2)/ 351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट में कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 12-55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राज पुत्र जितेन्द्र निवासी चकनूरी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष बरामदगी का विवरण:- निल

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 379/25 धारा 65(1)/ 115(2)/ 351(3) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

- 1-थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना फूलपुर आजमगढ़
- 2-व0उ0नि0 गंगाराम विन्द थाना फूलपुर आजमगढ़
- 3-का0 अनिल प्रसाद थाना फूलपुर आजमगढ़

- 4- का0 राहुल पाल थाना फूलपुर आजमगढ़
5-म0का0 शिल्पी सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़



03.थाना – कन्धरापुर: जिला बंदर अपराधी गिरफ्तार।

गिरफ्तारी/घटना का विवरण-

दिनांक 02/03.08.25 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा को सूचना मिली की जिला बंदर अपराधी जनार्दन यादव s/o बहोर यादव R/O इशहाकपुर ps कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जिला बंदर होने के पश्चात भी अन्दरमियान अपने घर पर लुके छिप कर रह रहा है इस सूचना पर जनार्दन यादव की तलाश की गई तो ज्ञात हुआ कि विमती लछिरामपुर थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद आजमगढ़ में सुरेन्द्र यादव के आटा चक्की की दूकान पर बैठा था, इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर ही समय 12.03AM पर दिनांक 03.08.25 को हिरासत पुलिस में लेकर मु0अ0सं0 246/2022 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 पंजीकृत कराया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 62/2025 धारा 137(2),/103(1)/238/61(2) बी.एन.एस. थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1- जनार्दन यादव पुत्र बहोर यादव नि0ग्रा0 इशहाकपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 362/2023 धारा 504/506 भादवि थाना कन्धरापुर।
- 2.मु0अ0सं0 225/2022 धारा 406, 420, 506 भादवि थाना कन्धरापुर।
- 3.मु0अ0सं0 226/2012 धारा 307 भादवि थाना कन्धरापुर।
4. मु0अ0सं0 246/25 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 थाना कन्धरापुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अनुराग कुमार थाना कन्धरापुर
2. उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय थाना कन्धरापुर
3. हे0का0 गोरखनाथ यादव थाना कन्धरापुर
- 4.का0 जितेन्द्र सिंह थाना कन्धरापुर
- 5.का0 अरूण पाण्डेय थाना कन्धरापुर

थाना - कंधरापुर

जनपद - आजमगढ़



04.थाना- महाराजगंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 28.07.2025 को वादिनी मुकदमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी उमेश यादव पुत्र सूर्यदेव यादव सा0 कसवा चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 209/25 धारा 69 बीएनएस बनाम उमेश यादव पुत्र सूर्यदेव यादव सा0 कसवा चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ हाल पता नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (मथुरा ठेकेदार का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अवधेश कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी जिसमें पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस व 3(1) द /3(1) ध/3(2)5 एससी /एसटी एक्ट की बढोत्तरी किया गया तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 03.08.2025 को उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र सूर्यदेव यादव सा0 कसवा चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ हाल पता नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (मथुरा ठेकेदार का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को कटान बाजार से समय 10.20 बजे सुबह हिरासत पुलिस में नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. उमेश यादव पुत्र सूर्यदेव यादव सा0 कसवा चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ हाल पता नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (मथुरा ठेकेदार का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 209/25 धारा 69/ 115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस व 3(1) द /3(1) ध/3(2)5 एससी /एसटी एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम -

1-प्र0नि0 केदारनाथ मोर्य, उ0नि0 अवधेश कुमार यादव हे0का0 श्रीनारायन यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।



05.थाना मुबारकपुर: नाबालिक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

दिनांक 30.07.2025 को कस्बा जहानागंज जनपद आजमगढ़ स्थित वादी मुकदमा द्वारा स्वयं के नाबालिग बालक के साथ चार अभियुक्त क्रमशः 1. मुहम्मद अहमद पुत्र बदरुद्दीन 2. सलीम पुत्र इम्तियाज 3. जानु पुत्र मुमताज निवासीगण मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 4. अरशद आजमी पुत्र असलम निवासी सईदनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 मुरारी मिश्र मय द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दानिश उर्फ सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को सईद नगर मोड़ से समय करीब 12.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-दानिश उर्फ सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हे0का0 रविन्द्र सिंह व हे0का0 आशीष कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



06.थाना मुबारकपुर: गैर-इरादतन हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

दिनांक 01.08.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती तंजीला खातून पत्नी स्व० इरफान अहमद निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि वादिनी का लड़का गौसुल कमर मोटर साइकिल से मुबारकपुर आ रहा था कि रास्ते में उसका सगा भाई जिशान अचानक से पेट में चाकू मार दिया जिससे वादिनी का छोटा पुत्र गौसुल कमर को काफी गम्भीर चोटें आ गयीं दवा ईलाज के दौरान वादिनी के पुत्र गौसुल कमर की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर मु०अ०सं० 342/2025 धारा 105 BNS पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना व०उ०नि० सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.08.2025 को व०उ०नि० सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जीशान पुत्र स्व० इरफान अहमद निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को ग्राम इब्राहीमपुर कब्रिस्तान से समय करीब 17.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया है। अभियुक्त के निशां देही पर ग्राम अतरडीहा मौर्या बस्ती के पास वाली झाड़ी से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू की बरामदगी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-जीशान पुत्र स्व० इरफान अहमद निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 342/2025 धारा 105 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

व०उ०नि० सुरेश सिंह यादव मय हमराह हे०का० जयराम तिवारी व का० नितिश मल्ल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



07.थाना फूलपुर: चोरी के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 03-08-2025 को मुकदमा वादी मेवालाल पुत्र श्री राम निवासी हरिजन बस्ती जगदीशपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 02.8.2025 को समय करीब सायं 5 बजे प्रार्थी का एक सफेद चितकबरा बकरा उम्र 01 वर्ष गांव के किनारे नहर पर चर रहा था कि एक व्यक्ति मेरे बकरे को चोरी करके अपने मोटर साइकिल नं0 UP50CQxxx स्प्लेंडर पर लादकर भोरमऊ की तरफ भाग रहा था कि मेरे व आसपास के लोगों के चिल्लाने पर चोरी करके भाग रहे व्यक्ति को कुछ दूरी पर बकरे सहित व मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-381/25 धारा धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम फुरकान पुत्र इसरार नि0 ग्रा0 तोवां थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश त्रिपाठी के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 02.08.2025 को उ0नि0 दिनेश त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 फुरकान पुत्र इसरार नि0 ग्रा0 तोवां थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को भोरमऊ के पास बकरे व मोटरसाइकिल सहित समय करीब सायं 5 बजे मुकदमा वादी व आस पास के लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया अभियुक्त को धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. फुरकान पुत्र इसरार नि0 ग्रा0 तोवां थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
बरामदगी का विवरण:- चोरी का बकरा

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-381/25 धारा धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. फुरकान पुत्र इसरार नि0 ग्रा0 तोवां थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
1-381/25 303(2)/317(2) बीएनएस फूलपुरआजमगढ़
2-59/20 3/5/8 गो0वध0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 निजामाबाद आजमगढ़
3-140/21 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

मुकदमा वादी व आस पास के लोगों के द्वारा थाना फूलपुर आजमगढ़

